<u>रजिस्टर्ड/सीव्ड</u>

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या- 424/2026/621/22-2-2025-17(428)/2025
लखनऊ: दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

<u>आदेश</u>

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खुशीराम (बन्दी संख्या-24884) पुत्र श्री देवी, निवासी- ईसापुर निगोही, थाना-निगोही, जनपद-शाहजहाँपुर, वर्तमान पता- गंगाघाट, थाना-गंगाघाट, जनपद-उन्नाव, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-181/2005 में भा०द०वि० की धारा-396 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-5, उन्नाव के आदेश दिनांक 13.10.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 18.01.2024 तक अपरिहार 15 वर्ष, 08 माह, 24 दिन तथा 20 वर्ष, 05 माह की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या-424/2026/621(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
3- पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि**0**) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि**0**) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।